पुलिस जिला भरतपुर तथा जोधपुर (ग्रामीण) जिला मुख्यालय पर संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2013 के नियम 6 के अनुसरण में नियम 7 में वर्णित पात्रतावारी गैर-शासकीय संस्थाओं से एतद्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन निर्धारित प्रप्तत में दिनांक 27.06.2014 सायंकाल 4:00 बजे तक संबंधित उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये अथवा कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिसका प्रारूप, पात्रता की शर्तें तथा अधिसूचना विभागीय वेबसाइट www.wcd.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाये अथवा कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता से सम्पर्क किया जा सकता है।

(राजेश यादव)
निदेशक
महिला अधिकारिता
महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालन हेतु
आवेदन प्रयत्न

(महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2013, के नियम 6 एवं 7 के अंतर्गत)

निदेशक,
महिला अधिकारिता,
सदस्य-सचिव, स्टीयरिंग कमेटी,
7 जो संस्थानिक क्षेत्र, झालाना, जयपुर।

विषय:— पुलिस जिला मुख्यालय ..................... पर संचालित महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र के संचालन हेतु।

उपयुक्त विषयार्थमंत्र निवेदन है कि हमारी संस्था जिला ......................... में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र संचालित करने की इच्छुक है। संस्था का पूर्ण विवरण निम्नप्रकार से है—

(क) संस्था का परिचय

<table>
<thead>
<tr>
<th>संस्था का नाम</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>पुलिस स्टेशन अधिनियम एवं संख्या</td>
<td>प्रमाणित प्रति संलग्न करें</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था का पंजीकृत कार्यालय — पूर्ण पता</td>
<td>प्रति सलग्न करें</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था का संविधान</td>
<td>प्रति सलग्न करें</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की कार्यकारिणी</td>
<td>प्रति सलग्न करें</td>
</tr>
<tr>
<td>टेलीफोन व मोबाइल नंबर</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>फैक्स</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ई—मेल, यदि हो</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>वेबसाइट, यदि हो</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

(ख) संस्था के कार्य एवं अनुभव

<table>
<thead>
<tr>
<th>संस्था का कार्यक्षेत्र</th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>संस्था के मूल उद्देश्य</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही गतिविधियों का विवरण</td>
<td>संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था द्वारा अब तक जिन क्षेत्रों में कार्य किया गया है उसका पूर्ण विवरण</td>
<td>संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है</td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था द्वारा महिलाओं के लिए विशेष रूप से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का विवरण</td>
<td>संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है</td>
</tr>
<tr>
<td>क्या संस्था को व्याप्ति महिलाओं को संबंध और भागवत आदि क्षेत्र का अनुभव है, यदि हाँ तो क्या से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है तथा विस्तृत विवरण</td>
<td>संक्षिप्त विवरण दे। विस्तृत सूचना के लिए अलग से शीट लगाई जा सकती है</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(ग) संस्था की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था

<table>
<thead>
<tr>
<th>संस्था में कर्मियों की कुल संख्या व विवरण</th>
<th>नाम</th>
<th>पद</th>
<th>शैक्षणिक योग्यता</th>
<th>अनुभव</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>मिछले तीन वर्षों में संस्था की आय के स्त्रोत एवं व्यय का विवरण</td>
<td>तीन वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट संलगन करें</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>संस्था की वार्षिक रिपोर्ट</td>
<td>तीन वर्ष की रिपोर्ट की प्रतियाँ संलगन करें</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य विवरण जो देना चाहें</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि .................................................... (संस्था का नाम) के संबंध में प्रपत्र में दी गई सभी सूचनाएं, जहां तक जानकारी है, सही और तथ्यों पर आधारित है।

हम संस्था के निम्न पदाधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि महिला सूचा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2013 में दी गई शर्तों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा। यदि कार्य की अवधि में संस्था द्वारा संपादित कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो राज्य सरकार संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेंगे।

हस्ताक्षर संस्था पदाधिकारी

हस्ताक्षर (अध्यक्ष)

नाम

पता/टेलीफोन नं.

स्थानांक—

हस्ताक्षर(सचिव)

नाम

पता/टेलीफोन नं.
महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र के संचालन हेतु महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र नियमन एवं अनुदान योजना (संशोधित), 2013 के अन्तर्गत आवेदन हेतु पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैं:—

1. कोई भी संस्था जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।

2. संस्था का पंजीकरण तीन वर्ष से पूर्व का होना अपेक्षित है और इस अवधि में संस्था नियमित रूप से महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के मुद्दों एवं सार्थक सामाजिक कार्यकलापों से जुड़ी होनी चाहिए।

3. उन संस्थाओं को प्राथमिकता दी जावेगी जो महिला सुरक्षा एवं सहायता तथा महिला विकास एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एवं अनुभवी हो।